8-7-22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी प्रार्थना पत्र अवलोकन। मौका रिपोर्ट व DLC दर हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। इन्तजार रिपोर्ट TDR इन्द्रगढ़ पत्रावली 22-7-22 को पेश हो।	तहसील क्रमांक 343 / 11-7-22
22-7-22	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उप. तहसीलदार इन्द्रगढ़ की तरफ से मौका रिपोर्ट व DLC दर प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली व तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन करने पर प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14-6-2013 के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र दिनांक 21-9-22 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली कार्यवाही पूर्ण होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

3/प्रा0प0/2021
दायरा दिनांक 06.01.2021

बउनवान

1. रामशरण आ0 लोडक्या जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. हेमराज आ0 बजरंगा जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. अम्बालाल आ0 बजरंगा जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. हरिनिवास आ0 बजरंगा जाति मीणा निवासी दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा 251 क0 आर0टी0एक्ट।

उपस्थित :— 1.श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट(प्रार्थी)।

—: निर्णय :— **दिनांक :— 22.07.2022**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा 251 क. में पेश कर कथन किया कि आराजी कृषि भूमि खंसरा0 सं0 381 रकबा 3.50 हैक्ट0 वाके ग्राम दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ(बूंदी) मे स्थित है।प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के पास अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की कृषि भूमि खसरा सं0 408 रकबा 1.78 हैक्ट0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

कृषि भूमि वाके ग्राम दौलतपुरा तह0इन्द्रगढ (बूंदी) में स्थित है अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के पास आम रास्ता स्थित है।प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0सं0 408 रकबा 1.78 हैक्ट0 के उत्तरी मेड के सहारे–सहारे रास्ते में सें आता जाता है और प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0 1 हेमराज से उसके हिस्से भाग में आई कृषि भूमि में ख0सं0 408 रकबा 1.78 हैक्ट0 में से उत्तरी मेड के सहारे–सहारे 10 फीट चौडा रास्ता व घुमाव में 12 फीट चौडा रास्ता दिनांक 26.08.2019 को रास्ते के बदले रास्ते के बदले रास्ते में गई कृषि भूमि का 1,10,000/– रूपयें अक्षरे एक लाख दस हजार रूपये नकद भुगतान कर पांच सौ रूपये के स्टाम्प पर जरिये इकरार नामा खरीद किया जाकर नोटेरी से तस्दीक कराया गया।प्रार्थी पूर्व से ही उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं।वर्तमान में अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 राजस्व रिर्कोड खसरा सं. 408 रकबा 1.78 हैक्ट0 में सहखातेदार दर्ज होने से रास्ता अवरूद्व करने पर आमादा है।प्रार्थी ने इस कारण से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर इकरारनामा के अनुसार रास्ता दिये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण बावजूद तामिल नोटिस अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।पत्रावली का अवलोकन किया गया।पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य दिनांक 26.08.2019 को हुये इकरारनामा अनुसार अप्रार्थी सं0 1 ने उसकी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम दौलतपुरा ख0सं0 408 की उत्तरी मेड से प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 381 में आने जाने के लिए 10 फीट चौडा एवं घुमाव पर 12 फीट चौडा रास्ता दिया जाना स्वीकार करते हुये रास्ते से प्रभावित भूमि के बदले 1 लाख 10 हजार रूपये लिये जाकर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये हुये है उक्त इकरारनामा अनुसार अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज/आपत्ति आज दिनांक तक प्रस्तुत नही की गई है और न ही प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी नोटिस बावजूद सूचना के कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

तहसीलदार इन्द्रगढ से रिर्कोड एवं मौके की रिर्पोट लिये जाने पर रिर्पोट तहसीलदार इन्द्रगढ के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ख0 381 पर कृषि कार्य हेतू आने जाने के लिये कोई रिर्कोडेड रास्ता नही होना बताया गया एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की सहखातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 408 की

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

... प्रार्थी के द्वारा खरीद रास्ता का इकरारनामा अप्रार्थी क्रम 1 नें रूपयें 500/– रूपयें के स्टाम्प पेंपर –

उत्तरी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी कृषि कार्य हेतू आते जाते रहे है जो लघुत्तम दूरी का रास्ता उपर्युक्त मार्ग है जो आगे चलकर रिर्कोडेड रास्ता ख0सं0 409 व ख0सं0 410 में आकर मिल जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है ग्राम दौलतपुरा की कृषि भूमि ख0 सं0 381 में कृषि कार्य हेतू आने जाने के लिये अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 की खातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 408 रकबा 1.78 हैक्ट0 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे 10 फीट चौडा एवं घुमाव पर 12 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाता है रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले अप्रार्थी सं0 1 इकरारनामा अनुसार राशि प्राप्त कर चुका है फिर भी अप्रार्थीगण सं0 2 व 3 को यह अवसर दिया जाता है कि रास्ते में प्रभावित कृषि भूमि के बदले प्रचलित डी0एल0सी0 दर गणना की गई राशि की दोगुनी राशि का हिस्सा 1/3 ,1/3 न्यायालय हाजा में निर्णय पारित दिनांक से 2 माह के भीतर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकेंगे।पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर दिनांक 22.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

यह कि प्रार्थी के द्वारा खरीद रास्ता का इकरारनामा अप्रार्थी क्रम 1
नें रुपयें 500/– रुपयें के स्टाम्प पेंपर –

क्रमश..............2